

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY PARTIV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)


F.No. JLC/BL(01)/2011/ 7032

Dated: 3. 4. 2012.

NOTIFICATION

F. JLC/BL(01)/2011/ 7032 . - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 of the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (19 of 1976) read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. U-11030/5/75-UTI dated 26.3.1976, the Lt.Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer on all Additional District Magistrates who have been conferred the powers of Executive Magistrate in the National Capital Territory of Delhi, the powers of the Judicial Magistrate of the first class for trial of offences under the said Act in their respective jurisdiction in the National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
National Capital Territory of Delhi



(B.V. SELVARAJ)
Principal Secretary (Labour)
Government of NCT of Delhi

24/PS
08/4/12

Copy forwarded to the:-

1. The Principal Secretary to the Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi.
2. The Principal Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
3. The Secretary to the Minister of Labour, Govt. of NCT of Delhi.
4. The Principal Secretary (L.J&L.A.), Govt. of NCT of Delhi.
5. The Principal Secretary (Labour), Govt. of NCT of Delhi.
6. Divisional Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
7. Labour Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
8. The Dy. Secretary (GAD), Co-ordination Branch: in duplicate, for publication in Delhi Gazette, Part-IV Extraordinary of today's date.

Sh. 50, Annex
8
7/4/12

9. Special Commissioner/ Addl.Commissioners/Joint Labour Commissioners/Deputy Labour Commissioners/Assistant Labour Commissioners/Labour Officers, Labour Department, Govt. of NCT of Delhi.
10. Assistant Director (Planning), Labour Department, Govt. of NCT of Delhi with the request for publication in the Labour Statistics and on the website and to include it in the notification to be placed before the Vidhan Sabha.
11. Dy. Labour Commissioner (Shramik Help Line), Labour Department, Govt. of NCT of Delhi.
12. Librarian, Labour Department, Govt. of NCT of Delhi.
13. Guard File.



JOINT SECRETARY (LABOUR)
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
श्रम विभाग ; 05 शामनाथ मार्ग, दिल्ली

F. JLC/BL(01)/2011/ ७०३२

दिनांक ३.२.२०१२

अधिसूचना

F. JLC/BL(01)/ - ७०३२ गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ४ - 11030/5/75 दिनांक 26.03.1976 के साथ पठित बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (19 का 1976) की धारा 21 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करते हुए उप - राज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सभी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत कार्यकारी मजिस्ट्रेट कि शक्तियों को प्रदान किया गया हैं उनको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में उक्त अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों को शहर्ष प्रदान करने की कृपा की है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर

बी. वी. सेल्वरङ्ग
(बी. वी. सेल्वरङ्ग)

प्रधान सचिव (म)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित:-

1. उपराज्यपाल के प्रधान सचिव, भारत सरकार. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
2. मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, भारत सरकार. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
3. श्रम मंत्री के सचिव, भारत सरकार. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
4. प्रधान सचिव (L.J और एल.ए.), भारत सरकार. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
5. प्रधान सचिव (श्रम), भारत सरकार. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
6. संभागीय आयुक्त, भारत सरकार. दिल्ली, 5, शाम नाथ मार्ग, नई दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र.

7. श्रम आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5, शाम नाथ मार्ग, नई दिल्ली .
8. उप. सचिव (जीएडी), समन्वय शाखा दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-IV में आज के तारीख में प्रकाशन के लिए दो कापियां.
9. विशेष आयुक्त / अतिरिक्त आयुक्त / संयुक्त आयुक्त/ उप आयुक्त / सहायक आयुक्त / श्रम अधिकारी, श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली. सरकार
10. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली सरकार, श्रम सांचियकी और वेबसाइट पर प्रकाशन के लिए और यह अधिसूचना विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समक्ष रखा जाय, के अनुरोध के साथ.
11. उप श्रम आयुक्त (श्रमिक सहायता रेखा), श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
12. लाइब्रेरियन, श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
13. गार्ड फ़ाइल.

मी अभी

संयुक्त सचिव (मम)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार